

प0 संख्या-383652/33519

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह पतियाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 28 मार्च, 2026

विषय: विधानसभा क्षेत्र टिहरी के विभिन्न कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन/eDPR, जिसमें 02 मार्गों की कुल लम्बाई 5.70 कि०मी० एवं लागत, ₹ 313.44 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 307.91 लाख (रूपये तीन करोड़ सात लाख इक्यानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹10,000/- (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् 02 कार्यों हेतु ₹20,000/- (₹ बीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू. लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	शासन द्वारा अनु० लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी के विकास खण्ड चम्बा में भौणावागी से चवालखेत डांडा होते हुए नई टिहरी तक मोटर मार्ग डामरीकरण का कार्य। DPR 4874	2.575	190.69	0.10
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र टिहरी में अंजनीसैण बैसोली मोटर मार्ग के कोटी त्यूसा से ग्राम फटेली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। DPR 7916	3.125	117.22	0.10
	कुल योग:	5.70	307.91	0.20

(रू. बीस हजार मात्र)

2- उपरोक्त कार्यों की स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन होगी :-

- I. उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 01 पर अंकित कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि मार्ग की ज्यामितियों एवं सबग्रेड को विशिष्टियों के अनुसार प्राप्त कर ली गयी है। साथ ही मार्ग का **L-Section** बनाकर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मार्ग का **Grade** विशिष्टियों की अनुमन्य सीमाओं के अन्तर्गत है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मार्ग पर कहीं भी **Local Depression** नहीं है।
- II. उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 02 पर अंकित कार्य कराने से पूर्व आगणन में मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित स्थलों के **OGI/X-Section** रिकार्ड कर लिये जाये तथा मक डिस्पोजल का भुगतान इन स्थलों के **Final Level** के आधार पर वास्तविक डिस्पोजल की मात्रा, आंकलित कर की जाए।
- III. कार्य स्थल की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, समय समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जी0पी0एस0 फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखी जाय।
- IV. कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि मार्ग की ज्यामितियों एवं सबग्रेड को विशिष्टियों के अनुसार प्राप्त कर ली गयी है। साथ ही मार्ग का **L-Section** बनाकर यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मार्ग का **Grade** विशिष्टियों की अनुमन्य सीमाओं के अन्तर्गत है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि मार्ग पर कहीं भी **Local Depression** नहीं है।
- V. सड़क के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में वन विभाग के मानकों से सम्बन्धित लोक निर्माण अनुभाग 2-, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- **I/276791/2025** ई पत्रावली संख्या **15}23430-(सामान्य2022/())** दिनांक **19.02.2025** में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सुनिश्चित किया जाय।
- VI. विस्तृत आगणनों में उल्लिखित दरें, जो शेड्यूल ऑफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- VII. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-**I/149101/2023** दिनांक **25 अगस्त, 2023** में प्राविधानित व्यवस्थानसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
- VIII. प्रत्येक स्वीकृत योजना हेतु ठेकेदार के साथ गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में निर्माण से सम्बन्धित माईलस्टोन एवं समय-सारणी स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जायेगी तथा अनुबन्ध के अनुरूप ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा न किये जाने की दशा में नियमानुसार आवश्यक क्षतिपूर्ति अध्यारोपित करते हुए वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- IX. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की **Debitable** आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, **2025** के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- X. निर्माण कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- XI. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।

- XII. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- XIII. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- XIV. यदि विषयगत कार्य को लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- XV. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रॉक्यूरमेन्ट रूल्स- 2025 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- XVI. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक **31.03.2026** तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- XVII. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- **2047/XIV-219(2006)** दिनांक **30.05.2006** द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- XVIII. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष **2025-26** में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- **183/XXVII(1)/2012** दिनांक **28 मार्च, 2012** के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-**22**, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेन्ट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या- **4227 Chief Engineer PWD** में किया जा रहा है।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष **2025-26** में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-**22** लेखाशीर्षक-**5054** सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-**04** जिला तथा अन्य सड़कें-**337** सड़क निर्माण कार्य -**03** राज्य सेक्टर-**02** नया निर्माण कार्य-**53** वृहद निर्माण (**5054-04-800-03-02** से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक- **I/383546/2026** दिनांक **28 मार्च, 2026** में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
Rajendra Singh Patiyal
Date: 28-03-2026 (राजेंद्र सिंह पतियाल)
17:39:24 संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

130

3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, टिहरी।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., पौड़ी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग 2 -, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आठवां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी।
9. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लोक निर्माण विभाग, चम्बा।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, नई टिहरी।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
संयुक्त सचिव



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD- Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -1/383652/2026
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई टी-526030220127
आवंटन पत्र दिनांक-29-MAR-2026

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूर्वीगत परिवहन
337-सड़क निर्माण कार्य
02-नये निर्माण कार्य

04-जिला तथा अन्य सड़कें
03-राज्य मेन्टर

visited

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का व्यय		योग		
53-वृहद निर्माण				8170000		20000		0		8190000		
योग				8170000		20000		0		8190000		

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.20,000 (Rupees Twenty Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून



(Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: p1hodpwduk@gmail.com

पत्रांक-431 / 20याता०'क'(वित्तीय स्वीकृति)नियो०-1/2026,

दिनांक-04 / अप्रैल / 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, *पंडित*
2. अधीक्षण अभियन्ता, *08* वृत्त, लोक निर्माण विभाग, *रिहरी*
3. अधिशासी अभियन्ता, *प्रा०/निर्माण* देहरादून, लोक निर्माण विभाग, *रिहरी/चंभू*
4. आई०टी०सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. सहायक लेखाधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
6. अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक वर्ग), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

पंडित
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून